नीति पर विचार करना तथा भावी रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए वैकल्पिक नीति तैयार करना है। इसका दूसरा संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है, जिसकी सदस्य संख्या 21 है। इसमें भूतपूर्व विदेश सचिवों, रक्षा विशेषज्ञों, सामरिक विश्लेषकों, अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों आदि को शामिल किया जाता है। यह संगठन रक्षा क्षेत्र में भारत की समस्याओं का विश्लेषण करता है तथा आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सलाह भी देता है। इसका तीसरा संगठन सचिवालय है जिसे संयुक्त गुप्तचर समिति का कार्यभार सौंपा गया है। यह अंग तीनों अंगों में समन्वय के साथ गुप्तचर क्षेत्र में सूचनाओं को एकत्रित करके समीक्षात्मक अध्ययन के बाद सुरक्षा परिषद के सलाहकार के पास भेजता है।

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना से विदेश नीति निर्माण में सुनिश्चितता व स्पष्टता का गुण पैदा हुआ है। इसके द्वारा विदेश नीति को समग्र रूप से समझा जा सकता है। इससे विदेश नीति पर सैनिक व गैर सेनिक तत्वों के प्रभाव को अंका जा सकता है। इससे विदेश नीति को क्रियान्वित करने में मन्त्रियों तथा लोकसेवकों का उत्तरदायित्व बढ़ा है। सामरिक द ष्टि से विदेशी सम्बन्धों का निर्धारण व संचालन करने में यह परिषद काफी मददगार सिद्ध हुई है। यद्यपि इस संगठन को कार्यप्रणाली व संगठनात्मक ढांचे पर कुछ उंगलियां भी उठाई गई हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमन्त्री के मुख्य सचिव को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद सौंपने को लेकर कहा गया कि इसके प्रधानमन्त्री कार्यालय की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है। इसक अतिरिक्त सचिवालय तथा गुप्तचर व्यवस्था को एक साथ मिलाना भी गलत है। यद्यपि इसमें गैर-राजनीतिक सदस्यों को शामिल करके अधिकतर दोषों पर काबू पा लिया गया है, परन्तु फिर भी इसे दोषरहित संगठन नहीं माना जा सकता। यदि इस संगठन के कुछ दोषों का निवारण कर दिया जाये तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद विदेश नीति के बारे में दूरगामी एवं सुद ढ़ नीति निर्माण करने वाली सहायक सिद्ध होंगी।

(V) **गुप्तचर विभाग** (Intelligence Department) :- गुप्तचर विभाग किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस विभाग के प्रमुख कार्य - विभिन्न देशों से सम्बन्धित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सैनिक जानकारी एकत्रित करना है। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। भारत में गुप्तचर विभाग कई भागों में बंटा हुआ है। इसमें रॉ (अनुसंधान एवं विश्लेषण शाखा) की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है। 1962 में चीनी आक्रमण के बाद भारत ने गुप्तचर विभाग की आवश्यकता को महसूस करा दिया था। इसी कारण 1 अक्टूबर, 1968 को विदेशों में गुप्तचर व्यवस्था के संचालन हेतु 'रॉ' की स्थापना की गई। प्रारम्भ में इस संगठन के अधिकारियों को ग ह मन्त्रालय से ही लिया गया था, परन्तु बाद में इसका संस्थागत दर्जा प्राप्त होने पर वह अपने अधिकारियों को स्वयं ही नियुक्त करने लगी। आज इस संस्था का जाल सा सभी देशों में फैला हुआ है। जहां तक भारत के विदेशी सम्बन्धों की पहुंच है, यह संस्था विदेश नीति से सम्बन्धित सूचनाएं अपने आन्तरिक तथा बाहरी नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त करती है। आज इस संस्था का इतना अधिक संगठनात्मक विकास हो चुका है कि इसके सदस्य उसी देश की जानकारी ही नहीं रखते बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण की पूरी जानकारी भी अपनी सरकार को देते हैं। इस संस्था की सहायक संस्थाओं के रूप में सैन्य गुप्तचर विभाग तथा संयुक्त गुप्तचर समिति भी कार्यरत है। भारतीय सेना का अपना अलग गुप्तचर विभाग होता है जो विदेशी ताकतों एवं अन्य देशों की सैनिक गतिविधियों पर नजर रखता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त गुप्तचर समिति भी विदेश नीति के निर्माण में अहम् भूमिका निभाने वाले गुप्तचर विभाग का एक दुःखद पहलू यह है कि हमारी सेना का गुप्तचर संगठन भी मई 1999 में कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान की घुसपैठ की जानकारी नहीं दे सका। इस घटना के पूर्वाभास के अभाव ने भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करने पर विवश कर दिया और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपनी विदेश नीति में बदलाव लाना पड़ा।

(VI) गैर-सरकारी संगठन (Non-Governmental Organisations) :- भारत में विदेश नीति निर्माण में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका संसद, मन्त्रिमण्डल, विदेश मन्त्रालय, गुप्तचर संगठन आदि की होती है, उतनी ही जनमत, बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीतिक दल, अभिजन वर्ग, हित व दबाव समूहों, नौकरशाही आदि की भी रहती है। आज कोई भी सरकार विदेश नीति का निर्माण करते समय जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकती। कारगिल युद्ध के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपनी विदेश नीति में जो बदलाव किया था, उसके पीछे जनमत का ही दबाव था। इसके अतिरिक्त विरोधी दल का दबाव भी भारत में कई बाद विदेश नीति को प्रभावित करने में सफल रहा है। भारत में विदेश नीति सम्बन्धी सूचनाएं एकत्रित करके उन्हें महत्वपूर्ण रूप देने में बुद्धिजीवी वर्ग व लोकसेवकों की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त भारत में हित व दबाव समूहों की भी विदेश नीति निर्माण में अहम् भूमिका रहती है। यह संमूह संसद में अपनी लाबिइंग व्यवस्था द्वारा विदेश नीति के निर्माण को प्रभावित करते हैं।

इस तरह उपरोक्त विवेचन के बाद कहा जा सकता है कि विदेश नीति के निर्माण में भारत में कई सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं का यागदान रहता है। इसमें विदेश मन्त्रालय की भूमिका केन्द्रीय रहती है। विदेश नीति के निर्माण में उसे क्रियान्वित करने में इसकी भूमिका ही महत्वपूर्ण व अहम् होती है। उसकी सहायता के लिए भारत में कई गुप्तचर संस्थाएं भी कार्यरत् हैं जो उसे आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं। इसके अतिरिक्त विदेश नीति के निर्माण को जनमत, दबाव समूह, अभिजन वर्ग तथा बुद्धिजीवी वर्ग तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश भी प्रभावित करते हैं। विदेश नीति के निर्माण की तरह उसका क्रियान्यवन भी विदेश मन्त्रालय ही करता है जो अपने कार्य को दूतावासों, उच्च आयोगों व अन्य मिशनों के माध्यम से पूरा करता है।